अस्पताल वित्तीय सहायता और छूट कार्यक्रम का सारांश

"देखभाल" के कोर वैल्यू (प्रमुख मूल्य) का हर समय नमूना पेश करने के लिए रोगी की भुगतान क्षमता पर आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु Carolinas HealthCare System (CHS) प्रयासरत है। CHS वित्तीय सहायता कार्यक्रम इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं ताकि जरूरतमंद रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते समय वित्तीय सहायता से संबद्ध संघीय या राज्य नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अस्पताल से वित्तीय सहायता पाने हेतु पात्र रोगी का बिल किसी बिमित रोगी को आमतौर पर दी गई बिल की राशि (AGB) से अधिक नहीं हो। AGB की गणना के बारे में अधिक जानकारी के लिए रोगी ग्राहक सेवा से संपर्क करें।

CHS में दो प्रकार की वित्तीय सहायता कार्यक्रम उपलब्ध हैं:

कवरेज सहायता एवं वित्तीय सहायता (CAFA)

CAFA कार्यक्रम उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना निवासी उन अबीमित रोगियों के लिए है, जिन्होंने अस्पताल इनपेशेंट सेवाएं अथवा अब्जरवेशन सेवाएं ली हैं। इसमें अस्पताल आउटपेशेंट सेवाएं भी शामिल हैं, जिसमें बैलेंस $10,000 के बराबर अथवा उससे अधिक है। इन सेवाओं के लिए अबीमित रोगियों की CHS वित्तीय परामर्श विभाग द्वारा CAFA की समीक्षा की जाएगी। वित्तीय सलाहकार रोगी का साक्षात्कार लेगा और निर्धारित करेगा कि क्या वे अन्य कवरेज विकल्पों हेतु भी पात्र हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में यदि रोगी पूरा सहयोग दे और उसके लिए कोई कवरेज उपलब्ध न हो, तो संघीय गरीबी दिशा निर्देशानुसार (FPG) आय की तुलना करते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु उसके खाते का मूल्यांकन किया जाएगा। FPG के अनुसार 200% से कम अथवा बराबर आय वाले रोगियों को 100% छूट प्राप्त होगी। FPG के 201% और 400% के बीच आय वाले मरीज आंशिक छूट हेतु अर्हता प्राप्त करेंगे। रोगियों की सहायता के लिए शेष राशि के भुगतान हेतु ब्याज मुक्त भुगतान के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

चिकित्सकीय रूप से इनपेशेंट अथवा आब्जरवेशन सेवाओं के लिए CAFA कार्यक्रम हेतु पात्र पाए गए रोगियों को CHS चिकित्सा टीम द्वारा 100% छूट प्रदान की जाती है।

वित्तीय सहायता स्कोरिंग (FAS)

वित्तीय सहायता स्कोरिंग कार्यक्रम उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना निवासी अबीमित रोगियों के लिए है, जिन्होंने अस्पताल की आउटपेशेंट सेवाएं ली हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके खाते में $10,000 का कम बैलेंस रह गया है। बिल बनाए जाने के पूर्व वित्तीय सहायता छूट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राशि की ऑटोमैटिक रूप से समीक्षा की जाएगी। पात्रता, किसी तीसरी पार्टी के वेंडर द्वारा दी गई वित्तीय सहायता स्कोर पर आधारित होगी, जो यह संभावना दर्शाती है कि रोगी गरीब है। अर्हता पाने वाले रोगियों के खाते में 100% भुगतान समायोजित किया जाएगा और उन्हें कोई बिल नहीं दिया जाएगा। अर्हक अंक पाने वाले रोगियों को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अयोग्य पाए जाने वाले रोगियों को एक पत्र दिया जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि उनके खाते को पात्र नहीं पाया गया। आउटपेशेंट सेवा वाले रोगी पूरी तरह से समीक्षा कराए जाने हेतु विकल्प चुन सकेंगे। अबीमित रोगी को आकस्मिक विभाग की सेवाओं के लिए $75.00 का सह-भुगतान करना होगा।

रोगी http://www.carolinashealthcare.org/chs-financial-assistance पर आवेदन डाउनलोड करके CHS वित्तीय परामर्श विभाग को उसे मेल कर सकेंगे। मेल से आवेदन प्राप्त करने के लिए रोगी ग्राहक सेवा से संपर्क करें या एक अस्पताल में रोगी भर्ती कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्राप्त करें।

CHS कवरेज सहायता और वित्तीय सहायता नीति और दस्तावेजों की एक प्रति अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक और / या मेल से उपलब्ध करा दी जाएगी।

वित्तीय सहायता कार्यक्रम के अलावा, छूट संबंधी दो कार्यक्रम उपलब्ध हैं:

अबीमित छूट

अबीमित रोगियों को आवश्यक सभी चिकित्सकीय अस्पताल सेवाओं हेतु सकल शुल्क पर 50% छूट और पात्र आवश्यक चिकित्सकीय CHS मेडिकल ग्रुप सेवाओं हेतु अबीमित रोगियों को सकल शुल्क में 30% छूट प्राप्त होगी। सभी अबीमित रोगियों से आउटपेशेंट CHS मेडिकल ग्रुप सेवाओं के लिए $50.00 का सह भुगतान लिया जाएगा। अबीमित रोगियों के लिए छूट ऑटोमैटिक रूप से लागू है और इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। यह सुविधा समस्त अबीमित रोगियों के लिए उपलब्ध है।

मुश्किल दौर की चिकित्सा राशि में छूट

उत्तरी कैरोलिना और दक्षिण कैरोलिना के ऐसे निवासियों के लिए इस कार्यक्रम को डिजाइन किया गया है, जिनके पास चिकित्सा बीमा होने के बावजूद, किसी मुश्किल के दौर की चिकित्सा में उनके वित्तीय संसाधन की तुलना में अस्पताल से लंबा-चौड़ा बिल आया हो। सभी प्रकार के बीमा कवरेज अथवा तीसरे पक्ष द्वारा किए गए भुगतान के बावजूद उनके खाते में कुल घरेलू वित्तीय संसाधन के 10 प्रतिशत से अधिक बैलेंस हो, मुश्किल दौर की चिकित्सा राशि में छूट पाने हेतु पात्र होंगे। मुश्किल दौर की चिकित्सा राशि में छूट पाने हेतु इच्छुक रोगी अपना पहला स्टेटमेंट पाने के बाद इस कार्यक्रम के बारे में ग्राहक सेवा विभाग से फोन करके पूछताछ कर सकेंगे।

संपर्क संबंधी जानकारी:

CHS System Business Office
Attention: Financial Counseling Department
PO Box 32861
Charlotte, NC 28232

रोगी ग्राहक सेवा
(704) 512-7000